

मत्स्य निदेशालय

झारखण्ड, राँची

सं0सं0-म0नि0-IV-लेखा-298/2021-22/ 14(3-10) /मत्स्य/राँची/दिनांक 27.12.2021

प्रेषक,

एच0 एन0 द्विवेदी,

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में माँग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय /उप शीर्ष-62-मत्स्य विपणन योजना अंतर्गत कुल मो0 99,11,000/-रु0 मात्र (निन्यान्वे लाख ग्यारह हजार) रुपये मात्र के निधि का आवंटन।

प्रसंग : स्वीकृत्यादेश सं0 27 दिनांक 17.12.2021, ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 1571, आवंटन सं0 47 (आ0)वि0 दिनांक 22.12.2021 एवं ऑनलाईन आवंटन सं0 3092।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु माँग संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय /उप शीर्ष-62-मत्स्य विपणन योजना अंतर्गत कुल मो0 99,11,000/-रु0 मात्र (निन्यान्वे लाख ग्यारह हजार) रुपये मात्र निम्न लघु शीर्षों में निधि का आवंटन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में माँग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय /लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोग/उप शीर्ष-62-मत्स्य विपणन योजना अंतर्गत जिलावार निधि का आवंटन:

| क्र0      | स्थापना का नाम                                       | विस्तृत शीर्ष- 05-निर्माण 45 निर्माण कार्य |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           | विपत्र कोड                                           | 53S44050079662010545                       |
| 1         | 2                                                    | 3                                          |
| 1         | जि0म0पदा0-सह-मु0कार्य0पदा0, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा | 9911000                                    |
| कुल आवंटन |                                                      | 9911000                                    |

मो0 निन्यान्वे लाख ग्यारह हजार रु0 मात्र।

2. इस आवंटन के विरुद्ध वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561/वि0(2) दिनांक 17/04/98, वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि0, दिनांक 15/07/03, पत्रांक 533(वि0) दिनांक 03/03/04 में निहित प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
3. आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 475 में किये गये निदेश के आलोक में किया जाये। इसके साथ ही कोषागार संहिता/वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये।
4. मंगला हाट, सदर चाईबासा में मत्स्य बाजार शेड के निर्माण के लिए इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा राशि वित्तीय लक्ष्य/स्वीकृत राशि के अधीन प्राप्त आवंटन से राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एक मुश्त करते हुये कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, चाईबासा को पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से उलब्ध करायी जाएगी।
5. वित्त विभाग के पत्रांक 224/बजट/दिनांक 30.03.2021 के आलोक में यह आवंटन निर्गत किया जाता है।
6. आवंटनादेश एवं स्वीकृतिदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
7. स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग, विचलन तथा अनियमित निकासी व व्यय के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
8. योजना में बिना पूर्वानुमति के प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक का व्यय न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।
9. राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व पूरी तरह संतुष्ट हो लें कि कार्य की डुप्लीकेटिंग तो नहीं हो रही है। इस प्रयोजन हेतु अन्य श्रोत (जिला/अन्य विभाग/योजना) से राशि प्राप्त नहीं हो रही है।
10. सभी अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखा जाए। अंकेक्षण आपत्तियों, अंकेक्षण के दौरान प्राप्त प्रतिवेदन का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करते हुए उसे Drop कराया जाए। साथ ही साथ प्रासंगिक मद की राशि की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय पूर्व में इस मद में यदि कोई अंकेक्षण आपत्ति हो तो उसका निराकरण करा लिया गया है।

अनु0-ऑनलाईन आवंटन

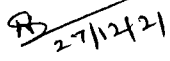
14(3A)  
27/12/2021

विश्वासभाजन

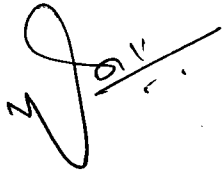
27/12/21  
(एच0 एन0 द्विवेदी)

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची.

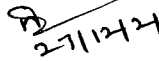
सं0सं0-म0नि0-IV-लेखा-298/2021/ 14 (आ०) /मत्स्य/रॉची/दिनांक 27.12.2021  
प्रतिलिपि: संबंधित कोषागार पदाधिकारी/महालेखाकार, झारखण्ड, रॉची/अवर सचिव, बजट शाखा,  
पशुपालन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची.

सं0सं0-म0नि0-IV-लेखा-298/2021/ 14 (आ०) /मत्स्य/रॉची/दिनांक 27.12.2021  
प्रतिलिपि: संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त/संयुक्त मत्स्य निदेशक/सचिव, कृषि, पशुपालन  
एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।





  
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची.



## आवंटन आदेश

### झारखंड सरकार

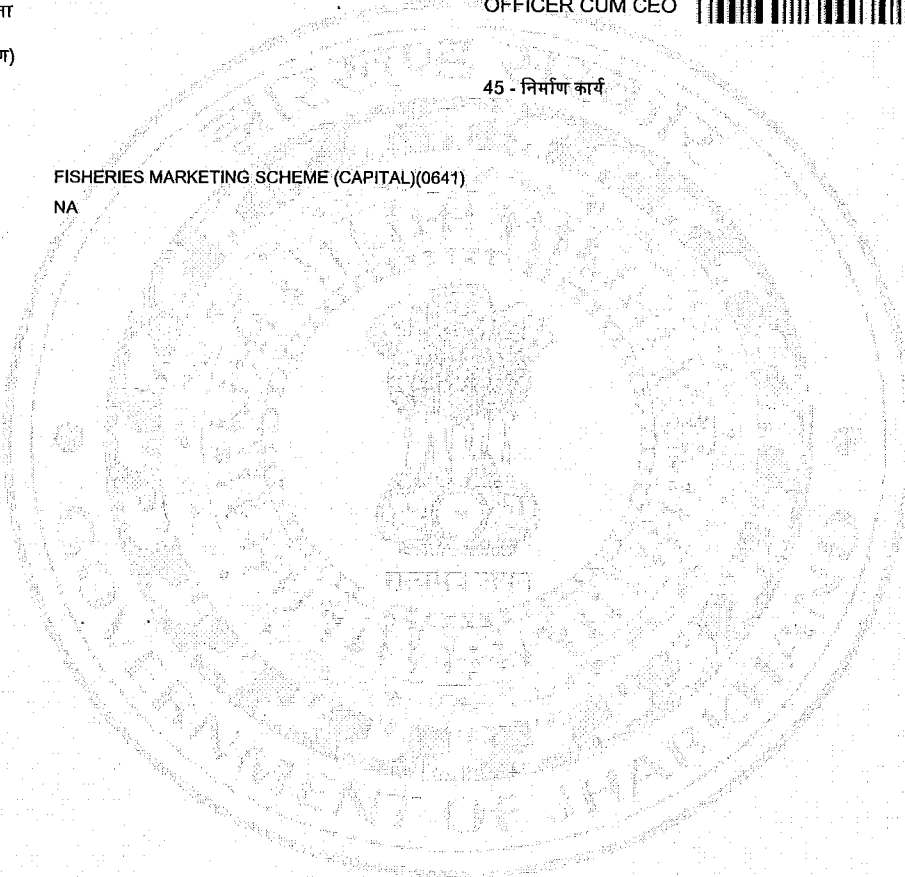
Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Fishery Divisio

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - IV/298/21-22/14

दिनांक - 27-Dec-2021

| क्रमांक | विपत्र कोड                                                                                                                                                                                                                                                        | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.                                                                 | आवंटित राशि                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1       | S 53 44050079662010545<br>4405 - मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय<br>00 - मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना<br>62 - मत्स्य विपणन योजना<br>01-मत्स्य विपणन (निर्माण)<br>05 - निर्माण<br>State Scheme<br>State Scheme :<br>Central Scheme : | 67860     | SGHFSH001<br>JAYANT RANJAN<br>DIST.FISHERIES<br>OFFICER CUM CEO<br>45 - निर्माण कार्य | 9,911,000.00<br>रुपये निम्नानवे लाख ग्यारह हजार |
|         | FISHERIES MARKETING SCHEME (CAPITAL)(0641)                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                       |                                                 |
|         | NA                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                       |                                                 |



योग:

क्रमिक योग:

रुपये निम्नानवे लाख ग्यारह हजार

9,911,000.00

(H. N. DWIVEDI)

DIRECTOR FISHERIES

**वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटित राशि की विवरणी :-**

मौग सं० - 53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

मुख्य शीर्ष-4405 - मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय & 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना & 62 - मत्स्य विपणन योजना

| SI No | TREASURY       | DDO CODE  | DDO NAME      | DDO DESG                       | 53S44050079662010545  | Total         |
|-------|----------------|-----------|---------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|
|       |                |           |               |                                | विमोच कार्य           |               |
| 1     | 2              | 3         | 4             | 5                              | 6                     | 7             |
| 1     | Singhphum West | SGHFSH001 | Jayant Ranjan | Dist.Fisheries Officer Cum Ceo | ₹99,11,000.00 (67860) | ₹99,11,000.00 |

**टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए**

**कुल आवंटित राशि :- ₹99,11,000.00 ( fuUukuos yk|k X;kjg g|k| ) रुपये मात्र |**

14(आप)  
27/12/2021

27/12/21  
(H. N. DWIVEDI)  
DIRECTOR FISHERIES